गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय)
इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ
दूरभाष संख्याः (0522) 2732193, फैक्स संख्याः 2732185.

पत्रांकः जी.बी.टी.यू./रा0प्र0प0/सर्कुलर/2010/694 दिनांकः 08 जुलाई, 2010

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य
गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय से
सम्बद्ध समस्त संस्थाएं।

विषयः छात्रों द्वारा संस्था में प्रवेश के समय जमा काशन मनी की वापसी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि संस्थाओं द्वारा छात्रों के प्रवेश के समय ट्यूशन फीस के साथ अन्य मदों में काशन मनी की धनराशि जमा कराई जाती है जिसे नियमानुसार पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्र को वापस लौटाए जाने की व्यवस्था है। परन्तु प्रायः यह देखा गया है कि छात्रों द्वारा प्रवेश के समय जमा की गई काशन मनी को वापस किये जाने में शिथिलता बरती जाती है एवं तद्स्थिति में छात्रों द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिकायत की जाती है। इसी प्रकार के एक प्रकरण में श्री केदारनाथ विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री कु0 दीप्ति विश्वकर्मा की काशन मनी वापस न मिलने पर मा0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ में शिकायत की गयी थी। उक्त प्रकरण में मा0 आयोग द्वारा छात्रा को काशन मनी वापस कराये जाने के आदेशों के साथ-साथ विश्वविद्यालय को भी आदेशित किया गया है कि गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थाओं के निदेशक/प्राचार्यो को विश्वविद्यालय स्तर से निर्देशित किया जाय कि अपने संस्थान में अध्ययनरत छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात उनके द्वारा जमा काशन मनी वापस की जाय।

अतः उक्त के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि मा0 आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.1.10 के अनुपालन में छात्र से अदेयता (No dues) प्रमाण पत्र के उपरान्त जमा नियमानुसार काशन मनी वापस किया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव, राज्य सूचना आयोग, 6वां तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी, जी0बी0टी0यू0, लखनऊ।
4. स्टाफ आफीसर, कुलपति कार्यालय, जी0बी0टी0यू0, लखनऊ।

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव

Suchana Ayog